न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 05/2020

अपीलार्थी–	*बनाम*	उत्तरदाता–
तमाची पुत्र दूला जाति मुसलमान निवासी भंवरीसर तहसील शिव जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.12.2019 जो प्रकरण सं. 22/2019 मे तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से अनुपस्थित।
2. उत्तरदाता तहसीलदार शिव स्वंय उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 03/02/2020

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार शिव द्वारा प्रकरण सं. 22/2019 सरकार बनाम तमाची मे पारित निर्णय दिनांक 13.12.2019 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का झांफली कला द्वारा तहसीलदार शिव के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भंवरीसर के खसरा नम्बर 214/123 रकबा 20–00 बीघा किस्म बा0सो0 सरकारी भूमि पर गैर सायल तमाची द्वारा नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार शिव द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल की ओर से प्रस्तुत जवाब पर पुनः मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई

Ansh
जिला कलक्टर
बाड़मेर

एवं उभय पक्षों की सुनवाई उपरांत तहसीलदार शिव द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिए धारा 91(2) के तहत अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 13.12.2019 के द्वारा 60.00/— रूपये जुर्माना अधिरोपित करने के साथ—साथ 60 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने एवं विवादित भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 22.01.2020 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। अपील के साथ ही धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील के प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन भी किया गया।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की बहस सुनी। अपीलांट के द्वारा इस अपील के द्वारा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने में तथ्य एवं विधि की भारी भूल की गई हैं। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली एवं सिविल कारावास का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत जवाब का निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया गया तथा हल्का पटवारी की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट को ही आधार मानकर एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया। प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में भी किसी मौतबिरान की मौजूदगी का अंकन नहीं किया गया हैं जिससे प्रतीत होता हैं कि यह मौका रिपोर्ट कार्यालय में बैठकर ही तैयार की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में किसी भी विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हैं तथा प्रदर्श कराये गये दस्तावेज पश्चातवर्ती तिथियों में सम्मिलित कर न्यायिक शक्तियों का

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

दुरूपयोग किया गया हैं। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य हैं।

5. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि विवादित भूमि से सम्बन्धित वर्ष 2000 में दुला के नाम से राजस्व वाद सं. 18/2000 सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर में पेश किया गया था जिसके संलग्न स्थगन आवेदन सं. 14/2000 में स्थगन आदेश भी पारित किया गया हैं जो आज दिन तक प्रभावी हैं। वर्तमान में उक्त भूमि के संबंध में राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के समक्ष अपील विचाराधीन हैं, जिसके विचाराधीन रहते हुए धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही अवैध हैं। इसके उपरांत भी अपीलांट भूमिहीन व्यक्ति हैं, जिसे राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 के नियम 20 के उप नियम–1 के अनुसार भूमिहीन व्यक्ति को आवश्यक रूप से बेदखल नहीं किया जा सकता हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश विधि अनुकूल नहीं होने से खारिज योग्य है, लिहाजा अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अपास्त फरमाया जावें तथा विवादित आराजी अपीलांट के पक्ष में नियमन किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

6. रेस्पोडेंट तहसीलदार शिव द्वारा जवाब मे प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम भंवरीसर के खसरा नम्बर 214/123 रकबा 20–00 बीघा किस्म बा0सो0 सरकारी भूमि नाजायज अतिक्रमण व काश्त कर कब्जा किया गया है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब में मुतनाजा भूमि पर अपने हक–स्वामित्व के संबंध में कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये, जबकि वास्तविकता यह हैं कि अपीलांट ने इसी खसरे की सरकारी भूमि पर पूर्व में भी 21–00 बीघा पर अवैध काश्त कर कब्जा किया हैं जिसके लिये निर्णय

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

दिनांक 23.11.2016 के द्वारा अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किया गया था। इसके बावजूद पुनः इसी भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने पर अपीलांट पर जुर्माना अधिरोपित करने के साथ ही 60 दिन के कारावास से दण्डित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखे जाने का आदेश फरमावे।

7. हमने अपीलांट के अपील मीमो में उल्लेखित आधारों एवं राजकीय अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट के अधिवक्ता का कथन हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हैं तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर दर्ज प्रकरण में पुनः जांच हेतु भी उसी पटवारी को निर्देशित किया गया हैं। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, किन्तु अपीलांट की ओर से जवाब प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 14.11.2019 के द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक शिव एवं हल्का पटवारी को पुनः मौका जांच का आदेश दिया गया हैं। उक्त आदेश की पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक शिव एवं हल्का पटवारी द्वारा संयुक्त रूप से जांच कर रिपोर्ट दिनांक 03.12.2019 को प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें अपीलांट का अवैध अतिक्रमण होना स्पष्ट उल्लेखित किया गया हैं। अपीलांट द्वारा इस अपील के संलग्न एवं अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया हैं जिससे यह साबित हों कि मौका रिपोर्ट गलत तैयार की गई हैं। अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया हैं कि विवादित भूमि से संबंधित वाद एवं स्थगन प्रकरण विचाराधीन हैं किन्तु उक्त वाद एवं स्थगन आदेश की प्रतियां इस अपील के संलग्न अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की हैं। रेस्पोडेंट द्वारा प्रकट किया गया हैं कि अपीलांट आदतन अतिक्रमी हैं जो कि रेकर्ड पर भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित हैं तथा धारा 91 के

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Arsh
जिला कलक्टर
बाड़मेर

तहत अवैध अतिक्रमी कों बेदखल करने का आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार का हैं। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिये 60 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2019 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार शिव को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

9. आदेश आज दिनांक 03.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)